न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 186 / 2022

अनवान : –

1. अनिल कुमार पुत्र महेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. राजपाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. कमल कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. कुलदीप पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. संदीप पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **गैरसायल**

<u>निर्णय</u> दिनांक: 04/09/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 100 / 93 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 2.2770 है० के प० नं० 372 / 426 (92) के किला नं. 6 की 0.253 है0, 7 की 0.253 है0, 14 की 0.253 है0, 15 की 0.253 है0, 16 की 0.253 है0, 17 की 0.253 है० व प० नं0 373 / 426 (91) के किला नं. 10 की 0.253 है0, 11 की 0.253 है0, 20 की 0.253 है० भूमि स्थित है व खाता संख्या 101 / 94 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.5290 है० भूमि जिसके प० नं0 373 / 426 (91) के किला नं. 3 की 0.253 है0, 6 की 0.253 है0, 7 की 0.253 है0, 8 की 0.253 है0, 9 की 0.253 है0, 12 की 0.253 है0, 13 की 0.253 है0, 14 की 0.253 है0, 15 की 0.253 है0, 16 की 0.253 है0, 17 की 0.253 है0, 18 की 0. 253 है0, 19 की 0.253 है0, 22 की 0. 0250 है0, 23 की 0.0630 है0, 24 की 0.0890 है0, 25 / 2 की 0.0630 है० भूमि स्थित है जिस[illegible] मुस्तरका खातेदार काश्तकार है।

ववादित भूमि का खात[illegible] था उक्त भूमि संयुक्त दर्ज रहने से भूमि के कब्जा काश्त व लगान बाबत सायल [illegible] तरतीवी प्रतिवादी सं[illegible] का गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:29:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 ता 6 का लड़ाई झगड़ा रहता है तथा सींव, डोल व कब्जा संयुक्त रहने से सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 का गैरसायल से रोजाना विवाद रहता है। इसलिए सायल उपरोक्त भूमि का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त व मुताबिक हक व हिस्सा अनुसार अलग–अलग करवाने की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 101/94 के प० नं0 373/426 (91) के किला नं. 22 की 0.0250 है० भूमि में सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 का ट्यूबैल लगा हुआ है तथा जो कि सायल के मृतक पिता महेन्द्र के नाम से लगा हुआ है जो सायल के पिता महेन्द्र के जीवनकाल में गैरसायल की सहमति से करवाया गया था। गैरसायलान संख्या 1 ता 6 विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर से रहने का फायदा उठाकर सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 को बेदखल करने की फिराक में है। सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ने अपने कब्जा काश्त की भूमि को काफी धन खर्च करके उपजाऊ बना रखा है तथा प० नं० 373/426 (91) के किला नं. 22 की 0.0250 है० भूमि में ट्यूबैल लगा रखा है तथा सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा सुधारी हुई भूमि में गैरसायलान सींव व डोल तोड़ने को तत्पर है तथा सुधारी हुई भूमि पर गैरसायलान गैर कानूनी तौर से कब्जा करने की फिराक में है। गैरसायलान प्रभावशाली व्यक्ति है जोर जबरदस्ती विधि कब्जा करना चाहते है अगर गैरसायलान अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है कि सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 के कब्जा काश्त की भूमि में गैरसायलान संख्या 1 ता 6 मदाखलत करने की योजना त्याग दे तथा सींव व डोल तोड़ने से निषिध रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है लेकिन अप्रार्थी स0 1 वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी केतागण को काबिज कराने पर आमादा है। अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थी स0 1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करें एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 100/93 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 2.2770 है० भूमि व खाता संख्या 101/94 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.5290 है० भूमि में सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 के कब्जा काश्त की भूमि में गैर सायल संख्या 1 ता 6 मदाखलत करने की योजना त्याग दे तथा सींव व डोल तोड़ने से निषिध रहे तथा रहन, बैय व मुन्तकील ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक चक 13 एनटीआर के खाता स0 100/93 की कुल 2.2770 हैक्ट व खाता स0 101/94 की कुल 3.5290 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई नि[illegible] आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से विशेष हिस्से क[illegible] करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:29:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahu

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक चक 13 एनटीआर के खाता स0 100/93 की कुल 2.2770 हैक्ट व खाता स0 101/94 की कुल 3.5290 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड [illegible] अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त [illegible] दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:29:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी

होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 05.08.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:29:12 IST
Reason: SelfAttested